




सत्यमेव जयते

# INDIA NON JUDICIAL Government of Uttarakhand

## e-Stamp

Certificate No.	: IN-UK75755535569945S
Certificate Issued Date	: 09-Jul-2020 02:47 PM
Account Reference	: NONACC (SV)/ uk1201304/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UKUK120130454421258482025S
Purchased by	: SWASTIK DIAGNOSTIC CENTER
Description of Document	: Article 46(A) Partnership
Property Description	: NA
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: SWASTIK DIAGNOSTIC CENTER
Second Party	: NA
Stamp Duty Paid By	: SWASTIK DIAGNOSTIC CENTER
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 750 (Seven Hundred And Fifty only)



Incl.No. 00000000000000000000  
**UMESH GUPTA**  
STAMP VENDOR  
DEHRADUN

Please write or type below this line



Racha  
*[Signature]*

**SR 0006750755**

### Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shikastamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

साझीदारनामा-पत्र

1. श्रीमती रचना मलिक (उम्र 42 वर्ष) पत्नी श्री शैलेश कुमार निवासी-53, आदर्श कालोनी, सुभाष नगर, देहरादून (उत्तराखण्ड) (आधार नं०- 6283 0336 5892)

.....प्रथम साझेदार

एवं

2. श्री अंकित गुप्ता (उम्र 30 वर्ष) पुत्र श्री सुन्दर लाल गुप्ता निवासी-654, इन्दिरा नगर कालोनी, न्यू फॉरेस्ट, देहरादून (उत्तराखण्ड) (आधार नं०- 3339 7817 6864)

.....द्वितीय साझेदार

के मध्य सम्पन्न हुआ।

विदित हो कि पक्षकारगणों ने मिलकर एक साझीदारी फर्म मै० स्वास्थ्यक डैग्नोस्टिक सेन्टर (M/s Swastik Diagnostic Center) पता- एस०बी०डी० टॉवर, मेन सहस्त्रधारा क्रॉसिंग देहरादून, उत्तराखण्ड का उद्भव किया हुआ है जो कि विगत दिनांक 10.07.2020 से पक्षकारों द्वारा उक्त फर्म की बाबत साझेदारी की जा रही हैं, जिसमें फर्म में मेडिकल डैग्नोस्टिक (Diagnostic Center) के अन्तर्गत मेथलोजी सेन्टर एवं अल्ट्रासाउंड सेन्टर का व्यवसाय का कार्य किया जायेगा, जिस हेतु यह साझेदारी विलेख लिखा जा रहा है जिस हेतु निम्न शर्तें तय पायी गयी है, जिसका पालन दोनों पक्षकार, उनके विधिक हित प्रतिनिधि, स्थानापन्न, वारिसान आदि भी करेंगे व पाबन्द रहेंगे:-

1. यह कि पार्टनरशिप फार्म का नाम मै० स्वास्थ्यक डैग्नोस्टिक सेन्टर (M/s Swastik Diagnostic Center) पता- एस०बी०डी० टॉवर, मेन सहस्त्रधारा क्रॉसिंग देहरादून, उत्तराखण्ड होगा।

Rachna

Aupla

2. यह कि फर्म का कार्य दिनांक 10.07.2020 से आरम्भ होगा तथा इसे लिखित रूप में पक्षकारगणों द्वारा आज दिनांक 10.07.2020 को अंकित किया जा रहा है।

3. यह कि फर्म में जो भी निवेश किया जायेगा, उसमें दोनों साझेदारी की भागेदारी 50-50 प्रतिशत अर्थात आधा-आधा भाग की हिस्सेदारी रहेगी तथा लाभ-हानि भी इसी अनुपात में सभी साझेदारों को प्राप्त होगी।

4. यह कि प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष को 50 प्रतिशत भागीदारी के बदले में मु0 9,00,000/- रुपये निम्न प्रकार अदा कर रहा है:-

1. मु0 7,00,000/-रुपये चैक संख्या 751054 पंजाब नेशनल बैंक शिमला बाईपास चौक, माजरा, देहरादून का दिनांक 08.07.2020

2. मु0 2,00,000/-रुपये चैक संख्या 075423 यूनियन बैंक फोरेस्ट रिचर्स इंस्टीट्यूट, देहरादून का दिनांक 08.07.2020

अदा कर दिये हैं एवं द्वितीयपक्ष उक्त चैकों की प्राप्ति स्वीकार करता है।


5. यह कि फर्म किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलेगी तथा बैंक खाते का संचालन दोनों साझेदारों के हस्ताक्षर से होगा।

6. यह कि फर्म द्वारा किये गये कार्यों के नियमित खाते व लेन-देन के खाते दोनों साझेदारों की देखरेख में बनाये जायेंगे तथा उक्त खाते फर्म के कार्यालय में सुरक्षित रखे जायेंगे। किसी भी साझेदार को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय खातों का निरीक्षण कर सके। प्रत्येक वर्ष के अन्त में फर्म द्वारा अर्जित लाभ एवं हानि की बैलेन्स शीट दोनों साझेदारों की देखरेख

में बनायी जायेगी एवं हस्ताक्षरित की जायेगी, जो कि दोनों साझेदारों पर बाध्य होगी। यदि उक्त बैलेन्स शीट में भूलवश कोई त्रुटि रह जाये तो

उसको हस्ताक्षरित होने के तीन माह के अन्दर सुधार करना अनिवार्य होगा।

दोनों साझेदारों को बैलेन्स शीट की प्रति प्राप्त करने का अधिकार होगा।



Rachna

Aupta

7. यदि कि कोई भविष्य में कोई साझेदार स्वेच्छा से फर्म से अपना नाम वापस लेना चाहेगा तो उस स्थिति में उसको इसकी लिखित सूचना कम से कम एक माह पूर्व फर्म के अन्य दूसरे साझेदार को देनी होगी तथा नाम वापसी के दिनांक तक उस साझेदार द्वारा फर्म के संचालन हेतु दी गयी अपनी समस्त योगदान राशि एवं उस तिथि तक उस साझेदार द्वारा अर्जित लाभ अथवा हानि का आकलन कर धनराशि उस साझेदार को वापस कर दी जायेगी अथवा उससे ले ली जायेगी तथा उस पक्षकार की साझेदारी समाप्त हो जायेगी तथा अगर किसी साझेदार द्वारा फर्म छोड़ी जाती है तो दूसरा साझेदार नये साझेदार को फर्म में रख सकता है तथा नये आने वाले साझेदार पर भी समस्त शर्तें लागू होगी।
8. एक अगस्त से पहले की जो भी देनदारी है चाहे वह बैंक लोन या व्यक्तिगत ऋण या अन्य देनदारी हो वो द्वितीयपक्ष अंकित गुप्ता की होगी।
9. यह कि उक्त फर्म में इण्डियन आर्बिट्रेशन के सभी प्राविधान यथावत् लागू होंगे।
10. यह कि किसी भी विवाद के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी जनपद देहरादून न्यायालय में होगा।
11. यह कि फर्म के कार्यों के संचालन के सम्बन्ध में जिन भी कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी वह दोनों साझेदारों की सहमति से की जायेगी।
12. यह कि फर्म के समापन पर फर्म के गुडविल को समाप्त समझा जायेगा।
13. यह कि फर्म में भारतीय साझेदार अधिनियम के प्राविधान लागू रहेंगे।
14. यह कि साझेदारों के मध्य किसी भी विवाद की स्थिति में सर्वप्रथम आपसी



सहमति से मध्यस्थ/आर्बिट्रेटर नियुक्त होगा तथा उसका निर्णय दोनों को मान्य होगा तथा आर्बिट्रेटर अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत ही कार्यवाही की जायेगी।

Rachna

Aupta

15. यह कि यह साझेदारी विलेख दोनों पक्षकारों द्वारा स्वतंत्र सहमति से बिना किसी दबाव के अंकित व निष्पादित किया जा रहा है।

अतः यह साझेदारी विलेख आज दिनांक 10.07.2020 को स्थान देहरादून में निम्न साझेदारी के समक्ष लिख दिया गया एवं हस्ताक्षरित कर दिया गया ताकि प्रमाण रहे तथा समय पर काम आवे।

हस्ताक्षर साझेदार

हस्ताक्षर साझेगण

*Rachna*  
1. Rachna Malik

*Ankur*  
2. अंकित गुप्ता

1. Dev Jallygraut  
Kothari Mohalla, Vaishali  
Colony Jallygraut

2. Ankur Kumar  
Adarsh Clay Subhash Nagar  
Dehradun



**ATTESTED**  
*(Signature)*  
(RAJENDER SINGH NEGI)  
Advocate & NOTARY  
Chamber No. 92, 1st Floor  
Opposite Bar Office  
Collectorate Court Compound  
Dehradun (Uttarakhand)